08-10-24

अभिलाषिका सन्तोष द्वारा परिवादिनी
मूल अपील प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत करने पर समाधान पाया हुई)
प्रार्थिका द्वारा मूल अपील प्रार्थना पत्र/ 5 LRAct
में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर (मूल अपील प्रा. पत्र
दाखिल की जा चुकी है मूल अपील
प्रार्थना पत्र के दाखिल होने से इस प्रकार
का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है
अतः इस प्रकरण को भी दाखिल किया
जाता है समाधान समझौता में कोई
हर्जा खर्चा नहीं है
अभिलाषिका रहे)